FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
कालू पुत्र महावीर जाति भाट निवासी दौतलावली पुलिस थाना पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान		राज्य जरिये–सहायक लोक अभियोजक, नागौर (राज0)

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** 05 **सन्** 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05.01.2022	वकील प्रार्थी ने धारा 457 सी.आर.पी.सी. के तहत यह फौजदारी प्रार्थना पत्र पुलिस थाना खींवसर द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 321/2021 अपराध अन्तर्गत धारा धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनिमय) नियम 1995 के तहत दर्ज प्रकरण में जब्त शुदा दुधारू गायों एवं बछड़ों को जमानतनामा व सुपुर्दगी नामा पर छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित दिनांक 10.01.2022 को पेश करे। पत्रावली दिनांक 10.01.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर	
10.01.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री कौशल सिंह राठौड उपस्थित। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि पुलिस थाना खींवसर द्वारा सी.आर. नम्बर 321/2021 अन्तर्गत धारा 5, 6 व 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत प्रकरण में जब्तशुदा 10 दुधारी गाय व 05 बछडें का प्रार्थी एक मात्र मालिक है। उक्त दुधारू गाय व बछडों की प्रार्थी को सख्त आवश्यकता है। पुलिस को अब प्रकरण हाजा में उक्त दुधारू गाय व बछडों की आवश्यकता नहीं है। उक्त दुधारू गाय व बछडे देखरेख के अभाव में भूख, प्यास के कारण मर जायेगें तथा गौशाला में उक्त गायों व बछडों के चारे पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए गायों के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडेगा। प्रार्थी आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पेश करने को तैयार होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा गाय व बछडों को प्रार्थी को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। [illegible] में कथन किया कि प्रकरण में पुलिस थाना [illegible] प्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान गोवंशीय [illegible] निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की [illegible] 5, 6, 8 के अपराध के संबंध में मुकदमा [illegible] 10 दुधारू [illegible] एंव 05 [illegible] में लिया गया है। प्रकरण [illegible] जब्तशुदा गोवंश को नजदीकी श्री भैरूबाबा गौशाला गौ सेवा समिति भाकरोद में दाखिल करवाया गया है। उक्त अधिनियम 1995 की धारा 7 के प्रावधान अनुसार अभिगृहित किये गये 10 गायों एंव 05 बछडों की अभिरक्षा, मामले के अंतिम निपटारा होने तक, पशुओं के कल्याण के लिये कार्य कर रही किसी भी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सी को सौंपे जाने का प्रावधान है तथा यदि	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

बालु s/o सदाराम बनाम अभियोजक नागौर — फौजदारी प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022

किसी स्थानीय क्षेत्र में कोई भी ऐसी एजेन्सी नहीं हो, वहां अभिगृहित किये गये गायों/बछडों की अभिरक्षा क्षेत्र से बाहर की किसी भी ऐसी एजेन्सी या किसी भी ऐसे अन्य उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा जा सकता है, जो स्वेच्छा से रखना चाहे। ऐसे अभिगृहित गायों/बछडों को सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा पर प्रार्थी जो कि पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में अभियुक्त है व प्रार्थी के विरूद्ध धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 में प्रथम सूचना एफ. आई.आर. दर्ज है, को सुपुर्द करने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव दस्तावेजात एंव राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 7 का अवलोकन किया। उक्त अधिनियम 1995 की धारा 7 के अनुसार पुलिस द्वारा तहवील में लिये गये गायों/बछडों को प्रार्थी जो कि पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में अभियुक्त है, को सुपुर्द किये जाने को कोई प्रावधान नहीं होने से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं पाये जाने से प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

जिला कलक्टर

[redacted]

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2022.01.17 17:52:28 IST
Reason: SelfAttested